

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रॉची-834001

ऑनलाइन (Online) आवेदन करने की
अंतिम तिथि-15.11.2019

विज्ञापन

विज्ञापन संख्या - 08 / 2019

(सहायक अभियन्ता (विधुत) नगर विकास एवं आवास विभाग सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-6773 (अनु) दिनांक-28.08.2019 द्वारा झारखण्ड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (विधुत) के निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र (आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध) आमंत्रित किए जाते हैं।

1. (i) पद का नाम – सहायक अभियन्ता (विधुत)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् हैः–

SL. No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against today vacancy					
		No. of Vacancy	Woman	Sports	Handicapped			
					Blind & Low vision	Deaf & Dumb	Locomotive	Autism/Multiple Disabilities
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Unreserved	03	00	00	01	00	00	00
ii	SC	01						
iii	ST	01						
iv	EBC-I	01						
v	EBC-II	00						
vi	EWS	00						
Total of (i) to (vi)		06	00	00	01	00	00	00

नोट:- कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के अनुसार घट-बढ़ सकती है।

2. (क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-5555 दिनांक-28.06.2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए चिह्नित पदों में से 02 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण आदिम जनजाति के लिए देय होगा। ये आदिम जनजातियों के पद वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे जो न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करेंगे। मेधा सूची में यदि अनुमान्य आदिम जनजाति के सदस्य स्वतः आ जाते हैं तो आदिम जनजाति के लिए अलग से अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा किन्तु यदि आदिम जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति की मेधा सूची में नहीं आते हैं तो इन्हें मेधा क्रमानुसार 02 प्रतिशत पद उपलब्ध करा दिये जायेंगे। राज्य सरकार के संकल्प संख्या-7358 दिनांक-12.09.2019 के आलोक में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में ये पद रिक्त नहीं रहेंगे अपितु अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवार से भरे जायेंगे अर्थात् बैकलॉग नहीं होगा।

3. वेतनमान :- 9300-34800 ग्रेड वेतन-5400

4. पद :- स्थायी

5. परीक्ष्यमान अवधि :- 02 (दो) वर्ष

6. उम्र गणना की सन्दर्भ तिथि :— 01.08.2019
7. (क) न्यूनतम उम्र सीमा :— 21 वर्ष।
- (ख) अधिकतम उम्र सीमा:— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या—609 दिनांक—25.01.2016 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	35 वर्ष
2.	पिछङ्गा वर्ग (अनुसूची-II) / अत्यंत पिछङ्गा वर्ग (अनुसूची-I)	37 वर्ष
3.	महिला {अनारक्षित/पिछङ्गा वर्ग (अनुसूची-II)/अत्यंत पिछङ्गा वर्ग (अनुसूची-I)}	38 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष

नोट:-

- (i) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या—7636 दिनांक—12.10.2018 के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) को अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट दी जायेगी।
- (ii) भूतपूर्व सेविकों (Ex-service men) को उनकी कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5(पाँच) वर्षों की छूट देय है।

8. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत ईजनियरीग में स्नातक।

नोट— अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्यतः प्राप्त कर लिये हों।

9. सीधी नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया:-

- (क) अर्हताधारी अभ्यर्थियों की लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा में कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।
- (ख) यदि दो अथवा दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक समान हो तो उच्चतर शैक्षणिक योग्यता तथा इसके उपरान्त भी यदि प्राप्तांक एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

10. न्यूनतम अर्हतांक:—

सामान्य वर्ग	—	40%
पिछङ्गा वर्ग	—	36.5%
पिछङ्गा वर्ग (एनेक्वर-I)	—	34%
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	—	32%
अन्तर्वीक्षा के लिए भी उपरोक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।		

11. परीक्षा का स्वरूप, विषय एवं पाठ्यक्रम:—

- I. The Examination shall be conducted according to the following plan:-

Part I – (Written Exam)

The written Examination will comprise of two sections Section I consisting only of objective type of questions and Section II of conventional papers. Both Sections will cover the entire syllabus of the relevant engineering disciplines viz. Electrical Engineering. The standard and syllabi prescribed for these papers are given in Schedule to the Appendix. The details of the written Examination i.e. subject, duration and maximum marks allotted to each subject are given below.

ELECTRICAL ENGINEERING

Subject	Duration	Maximum Marks
Section I-Objective Papers		
1.General Ability Test (Part A: General English) (Part B: General Studies)	2 hrs.	200
2.Electrical Engineering-Paper I	2 hrs.	200
3.Electrical Engineering-Paper II	2 hrs.	200
Section II– Conventional Papers		
4.Electrical Engineering – Paper I	3 hrs.	200
5.Electrical Engineering – Paper II	3 hrs.	200
	Total	1000

Part II- (Personality test)

Personality test carrying a maximum of 200 marks of such of the candidates who qualify on the basis of the written examination.

NOTE : Candidates are advised to read carefully special instructions to candidates for conventional type tests and objective type tests given in Appendix including the procedure regarding filling in the Answer Sheet of objective type tests in the Examination Hall.

- III. In the Personality Test special attention will be paid to assess the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application and integrity of character.
- IV. Conventional papers must be answered in English. Question papers will be set in English only.
- V. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them. However, an extra time of twenty minutes per hour shall be permitted for the candidates with locomotor disability/cerebral palsy where dominant (writing) extremity is affected to the extent of slowing the performance of functions (minimum of 40% impairment) in the conventional type paper.
- VI. The minimum qualifying marks shall be fixed in any or all the papers of the examination in accordance with the resolution no. 13026 dated 27.11.2012 of the Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Govt. of Jharkhand. The Objective Type papers as contained in Section-I of the Plan of the Examination will be evaluated first and evaluation of the Conventional Type Papers contained in Section-II of the Plan of Examination will be done only of those candidates who obtain the minimum qualifying marks in Objective Types Papers, as fixed by the Commission.
- VII. In the question papers, wherever required, SI units will be used.
- NOTE :** Candidates will be supplied with standard tables/charts in SI units in the Examination hall for reference purpose, wherever considered necessary.
- VIII. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for conventional (essay)type papers only. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination hall is not permitted. It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering Objective Type Paper (Test booklets). They should not, therefore, bring the same inside the Examination Hall.
- IX. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g.1,2,3,4,5,6, etc.) while answering question papers.
- X. परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्तर :— विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के अधिकृत वेबसाईट— www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

12. आरक्षण का लाभ :-

- (i) Online आवेदन में अंभ्यर्थियों द्वारा कोटि का दावा अंकित करना अनिवार्य होगा।
 - (ii) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-6763 दिनांक-05.08.2016 के अनुसार) को झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
 - (iii) अनुमान्य जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-
- (a) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :-
- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-iv में तक झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- (b) पिछळा वर्ग-॥ एवं अत्यंत पिछळा वर्ग-। :-
- झारखण्ड राज्य के पिछळा वर्ग-॥ एवं अत्यंत पिछळा वर्ग-। कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक -1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- (c) आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक वर्ग के लिए- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1433 दिनांक-15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट- I) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- (d) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी- II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटि अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	विश्व रिकार्ड

13. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः—

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभावः—

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14. परीक्षा शुल्क :-

- (i) परीक्षा शुल्क Credit Card/ Debit Card/ Internet Banking/ SBI Buddy/ SBI UPI/ Other Payment Mode(Challan) के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किया जायेगा जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0-600 (छ: सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (iii) (a) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है।

(b) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 2249 दिनांक- 03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

- (iv) अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- (v) परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (vi) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़ अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।
- (vii) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- a. **Online** आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है, परंतु कंडिका-15(P) में निहित निर्देश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित Hard Copy निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- b. Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- c. Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना एवं तदनुरूप समर्पित प्रमाण पत्रों के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित सभी प्रावधान एवं निर्देशों के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
- d. ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व “How to apply” (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651 / 2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- e. ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- f. परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.– 0651 / 2213009 संपर्क किया जा सकता है।
- g. Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- h. आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- i. आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक/10वीं के प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित है।
- j. जन्म तिथि— आवेदक के मैट्रिक/10वीं प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।
- k. आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, तकनीकी स्नातक (B.Tech/B.E.) अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी मैट्रिक/10वीं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो), भूत्पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो), खेलकूद प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अनिवार्य रूप से प्रविष्ट कर तदनुरूप संबंधित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ कंडिका-15(P) में दिये गये निदेशानुसार समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्तर्वक्षा के समय अभिलेख सत्यापन के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- l. चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय रथगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- m. अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

- n. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा आवेदक इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- o. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचना एवं तदनुसार संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर ही अभ्यर्थिता तय की जायेगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सही—सही सूचना प्रविष्ट करते हुए प्रविष्ट किये गए सूचना के अनुसार संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख (कपिडका-15(P) के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न कर निर्धारित तिथि तक समर्पित करेंगे। भूल सुधार/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।
- p. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाईन आवेदन में की गयी प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति (Hard Copy) संलग्न कर आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे—
- (i) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति।
 - (ii) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक/10वीं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - (iii) तकनीकी डिग्री (B.Tech/B.E.) से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - (iv) जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के अभ्यर्थियों हेतु)
 - (v) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (निःशक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट तथा निःशक्तता दावा हेतु)
 - (vi) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (उम्र सीमा में छूट हेतु)।
 - (vii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत खेलकूद प्रमाण पत्र (खेलकूद कोटा में दावे के समर्थन में)।
 - (viii) ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप उक्त प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक—..... तक अनिवार्य रूप से “परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001” के पते पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या—..... तथा परीक्षा का नाम यथा—“सहायक अभियंता (नगर विकास एवं आवास विभाग) सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा” मोटे (**Bold**) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
 - (ix) निर्धारित तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर स्वीकार्य नहीं होगा।
16. अन्य शर्तें :—
- (i) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
 - (ii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
 - (iii) साक्षात्कार आयोजन से पूर्व विज्ञापन में संशोधन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
 - (iv) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
 - (v) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
 - (vi) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
 - (vii) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाणपत्र/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने पर स्वीकार्य नहीं होगा।
 - (viii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचना एवं तदनुसार संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर ही अभ्यर्थिता तय की जायेगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सही—सही सूचना प्रविष्ट करते हुए अनिवार्य रूप से प्रविष्ट किए गए सूचना अनुसार संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न करेंगे।

17. अंतिम तिथि :—

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक—24.10.2019 से दिनांक—15.11.2019 रात्रि 11:45 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) दिनांक—15.11.2019 के बाद दिनांक—18.11.2019 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (ग) आवेदक उक्त कंडिका—15(P) के अनुसार Online आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण—पत्रों की स्व—अभिप्राप्ति प्रति केवल स्पीड—पोर्स्ट/निर्बंधित डाक द्वारा या हाथोंहाथ (कार्य अवधि में) इस प्रकार भेजें की दिनांक—25.11.2019 अपराह्न 05:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची—834001 को अवश्य प्राप्त हो जाय।
- (घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए अन्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

ह० /—
सचिव
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।